ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

कार्यवृत्त

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की

तेरहवीं बैठक

दिनांक: 22 नवंबर 2019 समय : 03.30 बजे

स्थान : सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ

विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की तेरहवीं बैठक

(22 नवंबर 2019)

स्थान – सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ

कार्यसूची

अनुक्रमणिका

मद संख्या	विवरण
1	आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की बारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं अनुमोदन।
2	आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की बारहवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही।
3	विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कर्मियों के Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार।
4	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव/विषय।

मद संख्या 01.– आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की बारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि।

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की बारहवीं बैठक माननीय कुलपति महोदय प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को अपराह्न 03.30 बजे भाषा विद्यापीठ के सभाकक्ष मे संपन्न हुई थी जिसके कार्यवृत्त की प्रति सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी। उस पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। कार्यवृत्त संपुष्टि हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : संपुष्टि की गई।

मद संख्या 02.– आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की ग्यारहवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही।

मद संख्या	ग्यारहवीं बैठक में लिये गये निर्णय	की गयी कार्यवाही
03	आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना का विवरणानुसार है– 1– वर्ष 2019–20 में विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। 2– वर्ष 2019–20 में गैर–शैक्षणिक कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। 3– वर्ष 2018–19 के लिए अकादमिक ऑडिट। 4– वर्ष 2018–19 का AQAR ऑनलाइन अपलोड किया जाना। **उपर्युक्त पर स्वीकृति प्राप्त हुई**	आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) कार्यालय द्वारा समयबद्ध कार्यवाही की जाएगी।
04	प्रारंभिक जाँच समिति ने विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शैक्षणिक कर्मियों के आवेदन Career Advancement Scheme (CAS) की जाँच कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की– 1. डॉ. मनोज कुमार राय, सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग 2. डॉ. धूपनाथ प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग 3. डॉ. एच.ए. हुनगुंद, सहायक प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग 4. डॉ. रामानुज अस्थाना, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग 5. डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग 6. डॉ. राकेश कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग 7. डॉ. धरवेश कठेरिया, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग 8. डॉ. अख्तर आलम, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग 9. डॉ. रेणु सिंह, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग 10. डॉ. वीरेन्द्र प्रताप यादव, सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग 11. डॉ. निशीथ राय, सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग 12. डॉ. बीर पाल सिंह, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग 13. डॉ. रूपेश कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग 14. डॉ. गोपालकृष्ण ठाकुर, एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग 15. डॉ. शिरीषपाल सिंह, एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग 16. डॉ. उमेशकुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग 17. श्री शरद जायसवाल, सहायक प्रोफेसर, स्त्री अध्ययन विभाग	इस संबंध में सहायक कुलसचिव (स्थापना) को पत्र भेजा गया है।
05	प्रत्येक विभाग/केंद्र/प्रकोष्ठ द्वारा अपने विभाग/केंद्र/प्रकोष्ठ में आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट(छायाचित्रों सहित soft and hardcopy) आईक्यूएसी कार्यालय में भेजी जाए।	इस संबंध में कुलसचिव को पत्र भेजा गया।

निर्णय : संज्ञान लिया गया।

मद संख्या 03– विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कर्मियों के Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार।

सहायक कुलसचिव (स्थापना) द्वारा पिछली बैठक के बाद की प्रगति की जानकारी दी गयी एवं अध्यक्ष, प्रारंभिक जाँच समिति द्वारा शेष निम्नलिखित प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किए गए–

1. डॉ. पीयूष प्रताप सिंह का आवेदन (दिनांक 21.11.2019 को प्रेषित) प्रारंभिक जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उनसे व्याख्यानों की संख्या भी प्रस्तुत करने को कहा जाए।
2. डॉ. उमेश कुमार सिंह के Career Advancement Scheme (CAS) हेतु पात्रता की अवधि में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बतौर एसोशिएट प्रोफेसर की उनकी सेवा अवधि को घटाकर CAS आवेदन की तिथि निर्धारित की जाए।
3. डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर, दूर शिक्षा के संकाय सदस्यों के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।

निर्णय : स्वीकृत।

मद संख्या 04 – अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव/विषय।

1. मद संख्या 03 हेतु आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की बैठक आयोजित नहीं की जाए। CAS संबंधी प्रकरण स्थापना विभाग द्वारा कुलपति को प्रस्तुत किए जाएं एवं उनकी कार्यवाही से निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) को अवगत कराएं ताकि आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

2. दूर शिक्षा निदेशालय के संकाय सदस्यों के लिए अध्यक्ष, प्रारंभिक जाँच समिति द्वारा CAS हेतु प्रस्तुत श्रेणी–1 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. परामर्श केंद्र संबंधी प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए दो नवनियुक्त परामर्शदाताओं को मनोविज्ञान विभाग के साथ संबद्ध किया जाए।

4. जीवन कौशल संबंधी प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गयी। इसे नियोजन प्रकोष्ठ के साथ संबद्ध किया जाए।

5. विद्यार्थी प्रतिनिधि विद्यार्थियों से संबंधित विषयों पर प्रस्ताव बनाकर समिति के समस्त सदस्यों को प्रेषित करें। सदस्यों से प्राप्त सुझावों को शामिल कर प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

6. आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) द्वारा अकादमिक एवं प्रशासनिक नवाचारों से संबंधित सुझाव आमंत्रित किये जाएं।

7. अध्यक्ष, प्रारंभिक जाँच समिति के प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिनियम (2018) के अंतर्गत निर्धारित नये प्रारूप में CAS संबंधी आवेदन स्थापना विभाग द्वारा आमंत्रित किए जाएं। यह प्रारूप प्रारंभिक जाँच समिति के निर्देशन में तैयार किया जाए।

8. महाराष्ट्र के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक एवं विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम की रूपरेखा विभागों द्वारा तैयार की जाए।

9. आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ (IQAC) द्वारा विश्वविद्यालय की भावी योजनाओं एवं अकादमिक व प्रशासनिक गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

22/11/2019

निदेशक

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ

कुलपति / अध्यक्ष

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ